संख्याः 1530/XXIV-3/07/02(20)/2007 T.C.

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 11 जनवरी,2008

विषयः– माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिला योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 की अवशेष धनराशि एवं जिला योजनान्तर्गत प्रथम अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 1044/XXVII(I)/2007, दिनॉक 04.12.2007 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन हेतु **जिला योजनान्तर्गत** शासनादेश संख्या–1010/XXIV-3/07/02(20)/2007, दिनांक 03.8.2007 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी वर्ष 2007–08 की अवशेष धनराशि एवं **जिला योजनान्तर्गत प्रथम अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से** संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राप्त **रू0 128844 हजार** (रू0 बारह करोड़, अट्ठासी लाख, चवालीस हजार मात्र) की धनराशि को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–405/रा0यो0आ0/जि0यो0/2007–08, दिनांक 13 नवम्बर, 2007 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर इस शर्त के अन्तर्गत रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि आपके स्तर से उपरोक्त धनराशियां तत्काल समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के निवर्तन पर रख दी जायेगी।

3– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आबंटित परिव्यय की सीमा तक किये जाने का दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के कियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जायेगाः–

1– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

2– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

3– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

4– आबंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय।

5– मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों तथा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाय।

6– व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

क्रमशः.......2

7— स्वीकृत धनराशि की जिलावार फॉट सम्बन्धित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8— वित्तीय वर्ष 2007—08 में इसके पूर्ववर्ती वर्षों के एरियर भुगतान यदि कोई हो, के विवरण की सूचना अलग से रखी जाय।

9— अप्रैल,2007 से नये पदों के भरे जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय के सापेक्ष श्रेणीवार पदों (समूह "क" "ख" "ग" व "घ") की सूचना रखी जाय।

10— व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुवल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

11— निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/ पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ—साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों की लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण अनिवार्य रूप से किया जाय।

12— किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

13— बजट मैन्युवल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जानी वाली सूचना समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

14— वाह्य सहायतित परियोजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए ट्राइबल सबप्लान के अन्तर्गत आवंटित परिव्यय के सापेक्ष बजट प्राविधान को अन्य योजना हेतु व्यावर्तित न किया जाय।

15— किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—पॉच भाग—1 (लेखा नियम) आय—व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों, आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007—08 में प्रथम अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से प्राप्त धनराशि को अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा, 4202—शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय—01—सामान्य शिक्षा— 202—माध्यमिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक— यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव

क्रमशः..........3

संख्याः 1530(1)/XXIV-3/07/02(20)/2007, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3— निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी, उतराखण्ड।
4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5— बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
6— आयुक्त कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7— अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढवाल मण्डल—पौडी।
8— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9— समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10— अपर शिक्षा निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्र नगर, टिहरी।
11— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12— वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13— कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
14— एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
15— अनुभाग अधिकारी, शिक्षा अनुभाग—2, 4, 5 उत्तराखण्ड शासन।
16— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव

शासनादेश संख्याः 1530/XXIV-3/07/02(20)/2007, दिनॉक || जनवरी,2008 का संलग्नक

	लेखा शीर्षकवार विवरण	2007–08 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान (हजार रुपये में)	
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	2	3	4
	अनुदान संख्या– 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति		
2202–	सामान्य शिक्षा		
	02–माध्यमिक शिक्षा		
	109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय		
	04–राजकीय विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग/विषय का समावेश		
	0491–राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग खोलने तथा नये विषयों का समावेश (जिला योजना)		
	01 वेतन	200	0
	03 महगाई भत्ता	120	0
	06 अन्य भत्ते	24	0
	48 महगाई वेतन	100	0
	योग, 91	**444**	**0**
	योग, 04	**444**	**0**
	91–राजकीय हाईस्कूलों का इण्टर स्तर तक उच्चीकरण (जिला योजना)		
	01 वेतन	40000	0
	03 महगाई भत्ता	24000	0
	06 अन्य भत्ते	4400	0
	48 महगाई वेतन	20000	0
	योग, 91	**88400**	0
	योग, 109	**88844**	
	91–जिला योजना		
	9103–राजकीय मा0 विद्यालयों का भवन निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण एवं भूमि/भवन क्रय तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (जिला योजना)		
	24–वृहत निर्माण कार्य	40000	0
	योग, 03	**40000**	**0**
	योग, 91	**40000**	**0**
	योग, 202 (पूंजीगत)	**40000**	0
	अनुदान संख्या–11 का सम्पूर्ण योग	**128844**	0

आयोजनागत रू0 128844 हजार मात्र
(रुपये बारह करोड़, अट्ठासी लाख, चवालीस हजार मात्र)

(पी0एल0शाह)
उप सचिव